तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/319/वि.कार्य/2018–19/ 1493-94 दिनाँक – 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 15 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 15, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/319/वि.कार्य/2018–19/1493-94 दिनाँक – 21.08.19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 15

दिनॉक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>स्कूल प्रबंधन समितियो के क्या उद्देश्य हैं;</td><td>शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 (2) के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का पालन करेगी:–
(क) विद्यालय के समस्त कार्य की निगरानी करना,
(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना,
(ग) सरकार या स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना, और
(घ) ऐसे अन्य दायित्वो का पालन करना, जो चिन्हित किए गए हों।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>इस समय कुल कितनी प्रबन्धन समितियॉं विद्यमान हैं;</td><td>वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में 1028 स्कूल प्रबंधन समितियॉं विद्यमान है।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>इनके कितने–कितने सदस्य होते हैं और कौन–कौन इनके कार्यकाल का पूर्ण विवरण दें;</td><td>प्रत्येक समिति में निम्नलिखित 16 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>वास्तविक पदनाम</th><th>समिति में स्तर</th><th>कुल सदस्य</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्रधानाचार्य /विद्यालय संचालक</td><td>सदस्य/अध्यक्ष</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बच्चों के माता–पिता/अभिभावक</td><td>सदस्य</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्थानीय चयनित प्रतिनिधि</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विद्यालय अध्यापक</td><td>सदस्य/सयोजक</td><td>01</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>कितनी समितियॉं अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं;</td><td>वर्ष 2015–2017 में 1013 समितियों ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2017 में 1019 समितियॉं गठित हुई थीं तथा वर्तमान में 1028 समितियॉं कार्यरत हैं।</td></tr>
<tr><td>ड0)</td><td>सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि इन समितियों का राजनीतिक उपयोग न हो;</td><td>सभी समितियॉं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा इसके अंतर्गत शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करती है।</td></tr>
<tr><td>च)</td><td>क्या यह सत्य है कि प्रबन्धन समितियों को सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और</td><td>जी नहीं।</td></tr>
<tr><td>छ)</td><td>यदि हॉं, तो किस प्रकार, पूर्ण विवरण दें?</td><td>उपरोक्त (च) के आलोक में लागू नही है।</td></tr>
</table>

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner